महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट भाषण–2014–15

महिला एवं बाल विकास विभाग

आदरणीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मै सम्माननीय विधायकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होने मुझे कई सुझाव एवं अनेक ऐसी जानकारियां दी हैं जिसका मुझे प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलेगा। मुझे आत्मिक संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिस विभाग का दायित्व सौंपा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और जो सीधे सीधे संवेदनाओं एवं मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है । मैं और मेरे विभाग का अमला पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इन दायित्वों को पूरा करेंगे जिससे पात्र महिलाओं एवं बच्चों को विभाग की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सकेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कृत संकल्पित हैं कि प्रदेश की महिलायें सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो तथा बच्चों को उनके मूल आधारभूत अधिकार स्वतः मिले। अध्यक्ष महोदय इस विभाग की स्थापना 1986 में हुई उसके बाद 88–89 में पृथक से विभाग अस्तित्व में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 2012–13 में विभाग में दो संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा तथा महिला सशक्तिकरण बनाये तथा दोनों का ही पृथक –पृथक बजट का प्रावधान किया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बच्चों से सीधे–सीधे जुड़ा हुआ प्रभाग एकीकृत बाल विकास सेवा के बारे में चर्चा करूंगी । प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करने के लिये एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनवाड़ियों में मंगल दिवस कार्यक्रम, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम – विशेष पोषण आहार योजना, किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं उनके कौशल उन्नयन हेतु सबला एवं किशोरी शक्ति योजना और स्निप जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समेकित बाल विकास सेवा योजना और आंगनबाड़ियों की पहुँच आज गाँव–गाँव तक हो गई है। हजारों महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं साथ ही बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार हुआ है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत प्रदेश में वर्तमान में 453 एकीकृत बाल विकास परियोजनाऐं, 80,160 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,070 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनके माध्यम से लगभग 73 लाख, छः वर्ष तक के बच्चों और 15 लाख गर्भवती एवं धात्री माताओं को लाभांवित किया जा रहा है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में रुपये 1922.83 करोड़ का बजट प्रावधान था जिसके विरूद्ध रुपये 1798.60 करोड़ का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये रू. 2330.88 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में रू. 408.05 करोड अधिक है । मा. अध्यक्ष जी मैं सदन को बताना चाहूंगी सरकार द्वारा पोषण आहार की दर में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है।

मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने समेकित बाल विकास सेवा का मिशन मोड में संचालन प्रारंभ किया है। इसमें हमारी प्राथमिकता बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने एवं आंगनवाड़ी को एक वायब्रेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। कुपोषित बच्चों की शीघ्र पहचान एवं समुदाय स्तर पर कुपोषण के त्वरित प्रबंधन के लिए "सुपोषण अभियान" (सपोर्टिंग प्रोग्राम ऑन सस्टेनिंग हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशन) आरंभ किया गया है। इस अभियान के प्रथम चरण में हमने 3000 स्नेह शिविरों के लक्ष्य के स्थान पर लक्ष्य से अधिक 3,170 स्नेह शिविर आयोजित किए गए।

इन शिविरों में 36 हजार 150 कम वजन के बच्चों, उनकी माताओं, ग्राम के तदर्थ समिति के सदस्यों, पोषण सहयोगिनियों और पोषण मित्रों की सक्रिय सहभागिता रही। वर्ष 2014–15 में सुपोषण अभियान का विस्तार 10 हजार ग्रामों तक करने की योजना है। बच्चों में कुपोषण समाप्त करने और उससे बचाव के लिए

अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन आरंभ किया गया जिसके तहत बाल पोषण एवं शिशु विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्यकर्ताओं एवं समुदाय को प्रशिक्षण भी दिया गया।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा कराये गये आई.सी.डी.एस. सर्वे के अनुसार मध्यप्रदेश द्वारा कुपोषण को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासो, बच्चों का वजन लिये जाने तथा पौष्टिक और रुचि कर भोजन प्रदाय करने में मध्यप्रदेश को भारत में बेस्ट परफोर्मिंग स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है। निःसंदेह इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता विभाग की मेहनत और आप सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है और इसके लिये मैं आप सभी की आभारी भी हूँ।

किशोरियां लाइफ सायकल एप्रोच का केन्द्र बिन्दु हैं और जब वे स्वस्थ्य और सशक्त होंगी तो भविष्य की माताओं के शिशुओं में अल्प पोषण का दुश्चक्र को तोड़ा जा सकेगा और विभाग का यह प्रयास है कि अल्प पोषित किशोरियां, कमजोर मातायें, दुर्बल बच्चे और कमजोर युवा पीढ़ी का यह दुश्चक्र तोड़ा जाये । यही कारण है कि विभाग द्वारा बच्चो किशोरियों और महिलाओं पर केन्द्रित अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है और इसी में से एक योजना सबला योजना है जो प्रदेश के 15 जिलों में संचालित की जा रही है। हमने पिछले साल साढ़े आठ लाख किशोरियों को पूरक पोषण आहार, 5292 बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण और 23 हजार 781 किशोरी बालिकाओं को समूह की सखी सहेली बनायी जाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि कर नेतृत्व क्षमता का विकास किया और 23 हजार 781 किशोरी बालिकाओं को समूह की सखी सहेली बनायी जाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि कर नेतृत्व क्षमता का विकास किया।

माननीय अध्यक्ष जी मेरी यह सोच है कि अगर आम जन, जनप्रतिनिधिगण विभाग की योजनाओं से सीधे तौर पर जुड जायेगें तो समाज में सकारात्मक बदलाव बहुत जल्दी दिखेगा। इसी सोच के साथ विभाग द्वारा जनसमुदाय को जोड़ने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हमारी आंगनबाड़ियॉ आकर्षक एवं सक्रिय बाल्य विकास केन्द्रों के रूप में अपनी पहचान बनाएं, जहॉ बच्चे खुशी खुशी आये और अपनी बालसुलभ ऑगनवाडियों को जीवंत बनाये इसी उद्देश्य से प्रत्येक आंगनबाड़ी पर हर माह की 25 तारीख को 'बाल चौपाल' मनाया जाना आरंभ किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मंगल दिवसों का आयोजन भी किया जा रहा है। हमारी आंगनवाडियों में मनाये जा रहे मंगल दिवस सामुदायिक सहभागिता के दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है जिसकी देशभर के अनेक विशेषज्ञों द्वारा सराहना की गई है।

प्रदेश में कुल 5895 आंगनवाडी भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। इस वर्ष 2014–15 के लिये राशि रूपये 457.52 करोड की राशि प्रस्तावित की गई है जिससे नये आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जावेगा।इस वर्ष आंगनबाड़ी भवनों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं परिसर में बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त व्यवस्था प्रावधानित की जा रही है।

मेरा यह प्रयास रहेगा कि जिन जिलों मे आंगनवाड़ी भवनों की अत्यधिक कमी उन्हे राज्य के औसत के बराबर लाया जाए। अन्य जिलों में हम ग्रामीण विकास विभाग के साथ सहयोग कर अधिक से अधिक आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के दृष्टिपत्र 2018 के अनुसार हम प्रत्येक जिले में 80 प्रतिशत आंगनवाड़ियॉ शासकीय भवनों में संचालित करने मे सक्षम होंगे।

विभाग के कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिये इंफोर्मेशन टेक्नालाजी का प्रयोग किया जायेगा इस वर्ष विभिन्न तकनीकी सहयोग के माध्यम से एम.आई.एस. पोषण आहार का सप्लाय चैन मैनेजमेंट एवं बच्चों की वजन निगरानी के लिये बेहतर तंत्र विकसित किया जावेगा।

महिला बाल विकास विभाग वर्ष 2014–15 में आईसीडीएस योजना को और सुदृढ बनाने हेतु कुछ नवीन योजनाएं यथा सक्षम, मल्टी सेक्टरल न्यूट्रीशन प्रोग्राम आदि का प्रदेश में क्रियान्वयन भी करने जा रहा है।

एकीकृत बाल विकास सेवा – घोषणा

- बहुत दिनों से सांझा चूल्हा कार्यक्रम के समूहों एवं रसोईयों की मांग थी की ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन बनाये जाने तथा ईधन परिवहन के लिये पृथक से राशि दी जाये। माननीय अध्यक्ष जी मैं विभाग की ओर से घोषणा करती हूँ कि सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत रसोईयों को प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र राशि रुपये 500 और स्वसहायता समूह को ईधन एवं परिवहन के लिए पृथक से 500 रुपये दिये जायेगे। साथ ही मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि इन समूहों के प्रशिक्षण की पृथक से व्यवस्था भी की जावेगी।
- अभी तक शिशुओं के विकास पर माता पिता एक व्यवस्थित तरीके से निगरानी नहीं कर पा रहे थे मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष है कि इस साल विभाग प्रत्येक बच्चे के लिए शिशु विकास कार्ड लागू करेगा जिससे बच्चों के अभिभावकों को शिशुओं के विकास के बारे मे न केवल पूरा ज्ञान होगा वरन वे अपने बच्चों के विकास पर भी पैनी नजर रखेंगे।
- प्रदेश में जिन 36 जिलों में किशोरी शक्ति योजना चल रही है। वहां किशोरी बालिकाओं के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इन जिलों में भी सबला योजना की भॉति 45 हजार सखी सहेलियों को प्रशिक्षण देगें जो देश में अपने आप में अनूठा प्रयास होगा।
- प्रदेश में पूर्व से अनेक आंगनवाड़ी भवन निर्मित हैं जिनके संधारण और देखरेख में समस्यायें आ रही थीं मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष है कि इस साल हम 8000 पुराने भवनों में सुधार एवं उन्नयन का कार्य करेंगे।
- वर्ष 2014–15 में नये आंगनवाड़ी भवनों के लिये राशि का प्रावधान रखा गया है। मैं निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी भवनों को बाल सुलभ आंगनवाड़ी बनाने की घोषणा करती हूँ।
- किशोरी बालिकाओं की प्रतिभा को अनेक बार उचित मंच नहीं मिल पाता है मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि इस साल हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन सभी 453 परियोजनाओं पर किशोरी बालिकाओं की विभिन्न प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगे जिससे उनके आत्म विश्वास में वृद्धि हो सके।

महिला सशक्तिकरण

आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऐसी कई योजनाओं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान एवं स्वागतम लक्ष्मी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया है जिसकी देशभर में मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही है। प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजना देशभर में एक आदर्श योजना के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रही है । इस योजना को देश के अनेक राज्यों में अपनाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिये उषा किरण योजना का स्वरूप रखा। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल द्वारा इस योजना की सराहना करते हुए औपचारिक शुरुआत की गयी।

माननीय अध्यक्ष जी बेटियों के लिये किसी ने ठीक ही कहा है कि –

प्यास का मीठा एहसास है बेटियॉ,

घर के आंगन का विश्वास है बेटियॉ ।

वक्त भी थामकर जिनका आंचल चले,

ढलते जीवन की हर श्वास है बेटियॉ।

और बेटियों के प्रति इसी भावना के साथ विभाग द्वारा प्रारंभ की गयी महत्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी योजना से आज 17 लाख 26 हजार से ज्यादा बेटियों के अभिभावकों के चेहरे पर मुस्कान है जो गर्व करते है कि ये मुस्कान उनकी बेटियों की बदौलत है। वर्ष 2014–15 के लिये इस योजना हेतु राशि रूपये 778.63 करोड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है कि महिला को आत्म सम्मान देना, उसे आत्मनिर्भर बनाना एवं उसके अस्तित्व की रक्षा करना। मेरा मानना है कि जब तक महिलाओं और बच्चियों के प्रति हमारी सोच में परिवर्तन नही आएगा तब तक चौखट से चौपाल तक आने का सफर आसान न हो पाएगा। इसलिए परिवार व समाज में वैचारिक बदलाव लाने के लिय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ठोस और सार्थक कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के मोतियों को स्वागतम लक्ष्मी की माला में पिरो दिया गया है। पुरुष और महिला समानता की पक्षधर मध्यप्रदेश सरकार ने स्वागतम लक्ष्मी के माध्यम से सुनिश्चित किया कि महिला को हर कदम पर सम्मान उसकी जिम्मेदारी है। स्वागतम् लक्ष्मी का उद्देश्य बालिका व महिला के प्रति समाज में संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना ताकि प्रत्येक स्तर पर सम्मानजनक स्थिति निर्मित हो सके, साथ ही महिलाओं को उनसे संबंधित कानून व अधिकारों की जानकारी दे कर उनको सशक्त बनाना भी है।

बेसहारा बच्चों विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु जुवेलियन जस्टिस ऐक्ट (जे.जे एक्ट) के तहत समेकित बाल संरक्षण योजना का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग 30 शासकीय एवं 107 अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से कुल 2956 बच्चों को लाभांवित किया जा रहा है।

महिलाओं पर होने वाले अपराधों एवं हिंसा को रोकने एवं इनकी विधि संगत सुनवाई करने के लिये राज्य महिला आयोग के द्वारा प्रभावी रुप से कार्य किया जा रहा है । हमारे प्रदेश के बच्चों के मूलभूत अधिकारों का कोई हनन ना कर पाये और उनके सर्वागीण विकास के लिये एक सहयोगात्मक वातावरण मिल सके इसके लिये बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है ।

हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह समाज की एक ऐसी कुरीति है जिसके दुष्परिणाम महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर सीधे सीधे पड़ता है। कम उम्र में मां बनने का परिणाम कमजोर एवं कुपोषित बचपन होता है जो कमजोर पीढ़ी का निर्माण करता है।निःसंदेह यह पीढ़ी प्रदेश की प्रगति में उतना योगदान नहीं दे पाती है जितना अपेक्षित होता है। बाल विवाह की इस कुप्रथा को रोकने के प्रयास कई वर्षों से किये जा रह थे परन्तु अब इसे एक अभियान का रूप देकर इसे लाडो अभियान के नाम से शुरु किया है । लाडो अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में कुल 366 तथा वर्ष 2014–15 में अभी तक कुल 622 बाल विवाह रोके गये ।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं के कल्याणार्थ महिला कल्याण कोष से संचालित मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना को प्रारम्भ किया गया है जिसमें महिलाओं को विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ।

महिलाओं को समाज में सम्मान एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु तेजस्वनी महिला सशक्तिकरण योजना प्रदेश के 6 जिले बालाघाट, मंडला, पन्ना, टीकमगढ, छतरपुर एवं डिण्डोरी में संचालित है । इन 6 जिलों में वर्ष 13–14 में सभी पंचायतों में शौर्य दलों का गठन किया गया है ।

महिला सशक्तिकरण अर्न्तगत प्रत्येक जिले में तथा संभाग के लिये पृथक महिला सशक्तिकरण अधिकारियों की पदस्थापना की जा चुकी है तथा विकास खण्ड स्तर तक संरक्षण अधिकारियों की नियुक्तियां पृथक से की जा रही है ताकि महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण – घोषणा

- समाज में महिलाओं को सम्मान एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिये तथा महिला स्वसहायता समूह को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिये विभाग ने 06 जिलों बालाघाट, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, डिण्डोरी, मण्डला में शौर्य दल का गठन किया गया था। इसके परिणाम बड़े उत्साहवर्धक आये हैं।
- मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इन छः जिलों के अलावा प्रदेश के 14 जिलों में भी शौर्य दल गठन करेंगे। ये जिले हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, देवास, मुरैना, ग्वालियर, सागर एवं इंदौर। मुझे उम्मीद है कि इन जिलों में भी शौर्य दल की सफलता में हमारी सम्मानीय विधायकों का सक्रिय सहयोग रहेगा।
- महिला स्वसहायता समूह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मैं हर्ष पूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि प्रदेश के पॉच जिलों सागर, धार, अलीराजपुर, ग्वालियर एवं शहडोल में महिला स्वसहायता समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समन्वय करके करेंगे।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं विपत्तिग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय एवं चिकित्सा की सहायता के साथ–साथ उचित परामर्श की भी आवश्यकता होती है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम प्रदेश के दो संभागों – ग्वालियर और इंदौर में उषा किरण केन्द्र निर्भया की स्थापना करेंगे।
- प्रदेश में हमारे संभागीय बाल भवन संचालित हैं और इस दौर में यह आवश्यक भी है कि बच्चों की नैसर्गिक क्षमताओं और क्रियात्मक प्रवृत्तियों का विकास करें। मैं घोषणा करती हूँ कि प्रदेश के समस्त संभागीय बाल भवनों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन करते हुए बच्चों एवं महिलाओं के लिये संभागीय संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित किया जावेगा।

बजट प्रावधान

अब मैं महिला एवं बाल विकास विभाग के दोनों प्रभागों में कुल बजट प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगी।

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल रूपये 2643.87 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध कुल राशि रुपये 2363.79 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2014–15 के लिये कुल राशि रू. 3154.44 करोड की राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

संचालनालय महिला सशक्तिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये कुल रू. 941.47 करोड की राशि का बजट प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध कुल राशि रुपये 872.37 करोड की राशि का व्यय किया। वर्ष 2014–15 के लिये महिला सशक्तिकरण संचालनालय हेतु कुल राशि रू. 901.67 करोड की राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग को समग्र रूप से देखें तो सम्पूर्ण विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल राशि रू. 3585.34 करोड के प्रावधान विरूद्ध राशि रू. 3236.15 करोड का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये कुल राशि रू.4056.11 करोड की राशि का बजट प्रस्तावित किया गया है। जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग रू. 368 करोड अर्थात 10 प्रतिशत अधिक है ।

माननीय अध्यक्ष जी आज प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध एवं दृढ़ संकल्पित है।

हम सभी जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों के विकास के मुद्दे विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में अनेक रुकावटें होंगी, समस्यायें एवं परेशानियॉ आयेगी, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव ही इन सब पर विजय प्राप्त करेगा और निःसंदेह हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे।

मैं इन शब्दों के साथ जीवन के हर क्षण को प्रवाहमान मानते हुये अपने शब्दों को विराम दूंगी कि –

रख हौसला बुलंद तो ये मंजर भी आयेगा,

प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।

थक हार कर न बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर,

मंजिल भी मिलेगी,और मील का पत्थर भी आएगा।

माननीय अध्यक्ष जी महिलाओं और बच्चों के विकास में किये गये हमारे विभाग के कार्यों को सर्वत्र सराहा गया है और हम अपने काम को निरंतर विस्तार व सघनता प्रदान करते हुए अपनी किशोरियों और बच्चों से यही आव्हान करते हैं कि " सारा आकाश तुम्हारा है।" हमारा यह आव्हान उनमें शारीरिक सबलता के साथ साथ आत्म विश्वास और आत्म सम्मान की भावना का संचार भी करता है।हमारे प्रदेश का भविष्य और हमारे प्रदेश की महिलाओं और बच्चों का भविष्य , एक दूसरे का पूरक बनते हुए एकाकार हो जायें, इसी विश्वास के साथ हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कामयाबी के दुर्ग में प्रवेश के लिये आत्मबल और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।

मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का एवं मान. वित्त मंत्रीजी की भी बहुत आभारी हूँ जिन्होने विभाग के कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान बजट में किया है और मै यह आशा करती हूं कि भविष्य में भी महिला एवं बच्चों के कल्याणार्थ संचालित की जाने वाली नवीन योजनाओं के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करायेंगें।